



DIGITAL
LIFE



क्र./जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वन भूमि/व्यपवर्तन/कोरबा/2025

रायपुर, दिनांक: 19.05.2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Korba Forest Division under Korba District of Chhattisgarh State, Area- 6.713 ha.**

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक **FP/CG/OFC/150589/2021**

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-42/2023/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09.10.2023।

महोदय

विषयांतर्गत कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अंतर्गत अंतर्गत विभिन्न मार्गों के सड़क समानांतर आर. ओ. डब्ल्यू. सीमा में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 6.713 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य से छूट थी, इसलिए वनमंडलाधिकारी कोरबा द्वारा राशि की मांग नहीं की गई है, परंतु परिवेश पोर्टल 1.0 में प्रस्ताव का स्टेटस In-principle दर्शित हो रहा है।

ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा शुन्य राशि का मांग पत्र अपलोड करते हुए अनुरोध है कि कृपया अग्रिम प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु अनुमोदन करने का कष्ट करें।

संलग्न : संदर्भित प्रथम चरण की स्वीकृति।



(अमन कुमार सिंह)

असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-42/2023/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9/10/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.713 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-914/1988, दिनांक 23.08.2023।

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्षा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोरबा	कोरबा	कोरबा	करतला भाग	संरक्षित वन	P1004	1280	0.50	0.064
2	कोरबा	कोरबा	कोरबा	करतला भाग	संरक्षित वन	P1005	20	0.50	0.001
3	कोरबा	कोरबा	कोरबा	करतला भाग	संरक्षित वन	P1006	1500	0.50	0.075
4	कोरबा	कोरबा	कोरबा	करतला भाग	संरक्षित वन	P1008	2140	0.50	0.107
5	कोरबा	कोरबा	करतला	करतला भाग	संरक्षित वन	P1014	1480	0.50	0.074
6	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	बताती भाग	संरक्षित वन	P1029	1280	0.50	0.064
7	कोरबा	कोरबा	कोरबा	बताती भाग	संरक्षित वन	P1032	620	0.50	0.031
8	कोरबा	कोरबा	करतला	बताती भाग	संरक्षित वन	P1034	740	0.50	0.037
9	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	कोल्गा	संरक्षित वन	P1064	640	0.50	0.032
10	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	कोल्गा	संरक्षित वन	P1065	700	0.50	0.035
11	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	मतरिंगा	संरक्षित वन	P1071	200	0.50	0.010
12	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	मतरिंगा	संरक्षित वन	P1074	1040	0.50	0.052
13	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	मतरिंगा	संरक्षित वन	P1075	3580	0.50	0.179

Reginald

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
14	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	सरसादेवा पश्चिम	संरक्षित वन	P1084	1980	0.50	0.099
15	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	ढेंगुरडीह	संरक्षित वन	P1085	1980	0.50	0.099
16	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	एलॉग पूर्व	संरक्षित वन	P1088	880	0.50	0.044
17	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	पतरापाली	संरक्षित वन	P1102	940	0.50	0.047
18	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	गिरारी पश्चिम	संरक्षित वन	P1109	3440	0.50	0.172
19	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	सेमरकना	संरक्षित वन	P1118	1120	0.50	0.056
20	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	सेमरकना	संरक्षित वन	P1119	1180	0.50	0.059
21	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	सेमरकना	संरक्षित वन	P1120	200	0.50	0.010
22	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	तराईमारडीह	संरक्षित वन	P1127	1140	0.50	0.057
23	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	तराईमारडीह	संरक्षित वन	P1128	2480	0.50	0.124
24	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	धौराभाठा	संरक्षित वन	P1135	2120	0.50	0.106
25	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	धौराभाठा	संरक्षित वन	P1136	1020	0.50	0.051
26	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	धौराभाठा	संरक्षित वन	P1138	4720	0.50	0.236
27	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	धौराभाठा	संरक्षित वन	P1139	2240	0.50	0.112
28	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	चाम्पा पश्चिम	संरक्षित वन	P1141	440	0.50	0.022
29	कोरबा	कोरबा	करतला	श्रीमार पश्चिम	संरक्षित वन	P1143	240	0.50	0.012
30	कोरबा	कोरबा	करतला	श्रीमार पश्चिम	संरक्षित वन	P1146	580	0.50	0.029
31	कोरबा	कोरबा	लेमरु	साको	संरक्षित वन	P816	1700	0.50	0.085
32	कोरबा	कोरबा	लेमरु	साको	संरक्षित वन	P817	740	0.50	0.037
33	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P822	1700	0.50	0.085
34	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P823	1760	0.50	0.088
35	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P825	1600	0.50	0.080
36	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P828	1860	0.50	0.093
37	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P829	1240	0.50	0.062
38	कोरबा	कोरबा	बाल्को	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P831	120	0.50	0.006
39	कोरबा	कोरबा	बाल्को	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P833	880	0.50	0.044
40	कोरबा	कोरबा	बाल्को	सतरेंगा भाग	संरक्षित वन	P834	1360	0.50	0.068
41	कोरबा	कोरबा	लेमरु	लेमरु	संरक्षित वन	P852	2900	0.50	0.145
42	कोरबा	कोरबा	लेमरु	अरसेना	संरक्षित वन	P872	240	0.50	0.012
43	कोरबा	कोरबा	लेमरु	अरसेना	संरक्षित वन	P873	3240	0.50	0.162
44	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P901	2660	0.50	0.133
45	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P903	900	0.50	0.045
46	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P909	3760	0.50	0.188
47	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P910	2180	0.50	0.109
48	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P912	720	0.50	0.036
49	कोरबा	कोरबा	लेमरु	रपता	संरक्षित वन	P913	940	0.50	0.047
50	कोरबा	कोरबा	बाल्को	गढ़कटरा - I	संरक्षित वन	P914	500	0.50	0.025
51	कोरबा	कोरबा	बाल्को	गढ़कटरा - III	संरक्षित वन	P916	460	0.50	0.023
52	कोरबा	कोरबा	बाल्को	अजगरबहार	संरक्षित वन	P963	900	0.50	0.045
53	कोरबा	कोरबा	बाल्को	अजगरबहार	संरक्षित वन	P967	1400	0.50	0.070
54	कोरबा	कोरबा	कोरबा	केशला भाग	संरक्षित वन	P979	1600	0.50	0.080
55	कोरबा	कोरबा	कोरबा	कोरबा उत्तर	संरक्षित वन	P985	1540	0.50	0.077
56	कोरबा	कोरबा	कोरबा	कोरबा उत्तर	संरक्षित वन	P986	1800	0.50	0.090
57	कोरबा	कोरबा	कोरबा	कोरबा उत्तर	संरक्षित वन	P989	1820	0.50	0.091
58	कोरबा	कोरबा	कोरबा	कोरबा उत्तर	संरक्षित वन	P990	760	0.50	0.038
संरक्षित वन भूमि का योग							83200	0.50	4.160

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कोरबा	कोरबा	लेमरु	हराझोरकी	नारंगी वन	OA 1195	140	0.50	0.007
2	कोरबा	कोरबा	लेमरु	कोटराडांड	नारंगी वन	OA 1196	1540	0.50	0.077
3	कोरबा	कोरबा	लेमरु	सुवाबहार	नारंगी वन	OA 1198	240	0.50	0.012
4	कोरबा	कोरबा	लेमरु	गौराडांड	नारंगी वन	OA 1199	3460	0.50	0.173
5	कोरबा	कोरबा	लेमरु	खराखोरा	नारंगी वन	OA 1200	960	0.50	0.048
6	कोरबा	कोरबा	लेमरु	बरझोरकी	नारंगी वन	OA 1201	2300	0.50	0.115
7	कोरबा	कोरबा	लेमरु	समुंदखोहा	नारंगी वन	OA 1202	880	0.50	0.044
8	कोरबा	कोरबा	लेमरु	नेवरीडांड	नारंगी वन	OA 1203	1420	0.50	0.071
9	कोरबा	कोरबा	लेमरु	जूनापारा	नारंगी वन	OA 1206	1100	0.50	0.055
10	कोरबा	कोरबा	लेमरु	हरदीमौहा-अ	नारंगी वन	OA 1211	780	0.50	0.039
11	कोरबा	कोरबा	लेमरु	छिबरीगढ़-ब	नारंगी वन	OA 1213	1080	0.50	0.054
12	कोरबा	कोरबा	बाल्को	सतरेंगा-सी	नारंगी वन	OA 1217	1000	0.50	0.050
13	कोरबा	कोरबा	बाल्को	सतरेंगा-बी	नारंगी वन	OA 1218	580	0.50	0.029
14	कोरबा	कोरबा	बाल्को	गढ़कटरा-सी	नारंगी वन	OA 1220	540	0.50	0.027
15	कोरबा	कोरबा	बाल्को	माखुरपानी	नारंगी वन	OA 1221	240	0.50	0.012
16	कोरबा	कोरबा	बाल्को	अजगरबहार-बी	नारंगी वन	OA 1236	1240	0.50	0.062
17	कोरबा	कोरबा	बाल्को	अजगरबहार-ए	नारंगी वन	OA 1237	1020	0.50	0.051
18	कोरबा	कोरबा	बाल्को	औराकछार	नारंगी वन	OA 1238	3460	0.50	0.173
19	कोरबा	कोरबा	बाल्को	चुइया-ए	नारंगी वन	OA 1241	660	0.50	0.033
20	कोरबा	कोरबा	बाल्को	चुइया-बी	नारंगी वन	OA 1242	1000	0.50	0.050
21	कोरबा	कोरबा	बाल्को	भुलीपहरी	नारंगी वन	OA 1243	2260	0.50	0.113
22	कोरबा	कोरबा	बाल्को	रुमगरा-ए	नारंगी वन	OA 1244	320	0.50	0.016
23	कोरबा	कोरबा	बाल्को	रुमगरा-बी	नारंगी वन	OA 1245	160	0.50	0.008
24	कोरबा	कोरबा	कोरबा	दक्षिण रजगामार	नारंगी वन	OA 1265	3200	0.50	0.160
25	कोरबा	कोरबा	कोरबा	कोरकोटमार	नारंगी वन	OA 1266	80	0.50	0.004
26	कोरबा	कोरबा	कोरबा	डुमरडीह-अ	नारंगी वन	OA 1281	160	0.50	0.008
27	कोरबा	कोरबा	कोरबा	पहरीपारा	नारंगी वन	OA 1302	1700	0.50	0.085
28	कोरबा	कोरबा	करतला	सरदुकला-सी	नारंगी वन	OA 1304	140	0.50	0.007
29	कोरबा	कोरबा	करतला	सरदुकला-डी	नारंगी वन	OA 1305	660	0.50	0.033
30	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	टांगरझोरकी	नारंगी वन	OA 1311	640	0.50	0.032
31	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	साधुडोंगरी	नारंगी वन	OA 1313	240	0.50	0.012
32	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	प्लाटपारा	नारंगी वन	OA 1334	520	0.50	0.026
33	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	जोकपतरा-ए	नारंगी वन	OA 1339	120	0.50	0.006
34	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	दादरढोढ़ा	नारंगी वन	OA 1341	200	0.50	0.010
35	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	कोल्गा-ए	नारंगी वन	OA 1342	60	0.50	0.003
36	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	फूलसरी-ए	नारंगी वन	OA 1354	260	0.50	0.013
37	कोरबा	कोरबा	पसरखेत	फूलसरी-बी	नारंगी वन	OA 1355	1140	0.50	0.057
38	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	छिरहुट	नारंगी वन	OA 1363	440	0.50	0.022
39	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	श्यांग-ए	नारंगी वन	OA 1365	1040	0.50	0.052
40	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	बनझोरकी-ए	नारंगी वन	OA 1367	420	0.50	0.021
41	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	गुरमा-जी	नारंगी वन	OA 1377	820	0.50	0.041
42	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	जूनापहाड़ी	नारंगी वन	OA 1386	20	0.50	0.001
43	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	जोगीपहरी	नारंगी वन	OA 1389	360	0.50	0.018
44	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	जूनाडीह बिजौरा	नारंगी वन	OA 1391	2200	0.50	0.110

244

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्षा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
45	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कोटरापहाड़-ए	नारंगी वन	OA 1392	360	0.50	0.018
46	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कोटरापहाड़-बी	नारंगी वन	OA 1393	500	0.50	0.025
47	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कोटरापहाड़-सी	नारंगी वन	OA 1394	1220	0.50	0.061
48	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कुदमुरा-बी	नारंगी वन	OA 1424	1560	0.50	0.078
49	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कुदमुरा-ए	नारंगी वन	OA 1425	600	0.50	0.030
50	कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	कटारीझोरखी	नारंगी वन	OA 1429	880	0.50	0.044
51	कोरबा	कोरबा	करतला	अकेलापहाड़	नारंगी वन	OA 1431	600	0.50	0.030
52	कोरबा	कोरबा	करतला	कोटमेर ब	नारंगी वन	OA 1451	420	0.50	0.021
53	कोरबा	कोरबा	करतला	नोनबिरा ब	नारंगी वन	OA 1456	640	0.50	0.032
नारंगी वन भूमि का योग							47580	0.50	2.379
क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कोरबा	कोरबा	कोरबा	भैसमा	राजस्व वन	81/1	300	0.50	0.015
2	कोरबा	कोरबा	कोरबा	भैसमा	राजस्व वन	95/1/k	160	0.50	0.008
3	कोरबा	कोरबा	कोरबा	भैसमा	राजस्व वन	1/1	220	0.50	0.011
4	कोरबा	कोरबा	कोरबा	ढोंगदरहा	राजस्व वन	414/1	460	0.50	0.023
5	कोरबा	कोरबा	कोरबा	ढोंगदरहा	राजस्व वन	636/1	200	0.50	0.010
6	कोरबा	कोरबा	कोरबा	सकदुकला	राजस्व वन	377/1	40	0.50	0.002
7	कोरबा	कोरबा	कोरबा	सकदुकला	राजस्व वन	510/1	140	0.50	0.007
8	कोरबा	कोरबा	करतला	नोनबिरा	राजस्व वन	244/1	400	0.50	0.020
9	कोरबा	कोरबा	करतला	नोनबिरा	राजस्व वन	359/1	200	0.50	0.010
10	कोरबा	कोरबा	करतला	करतला	राजस्व वन	115/1	120	0.50	0.006
11	कोरबा	कोरबा	करतला	करतला	राजस्व वन	595/1	560	0.50	0.028
12	कोरबा	कोरबा	करतला	करतला	राजस्व वन	846/1	140	0.50	0.007
13	कोरबा	कोरबा	करतला	कोटमेर	राजस्व वन	372/1	420	0.50	0.021
14	कोरबा	कोरबा	करतला	कोटमेर	राजस्व वन	499/1	120	0.50	0.006
राजस्व वन भूमि का योग							3480	0.50	0.174
कुल योग							134260 (134.26 K.M.)	0.50	6.713

उक्त 134.26 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 6.713 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 4.160 हे., नारंगी वन भूमि 2.379 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.174 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

रजिस्ट्रार

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
15. आवेदक आवेदक संस्थान प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अनिवार्य रूप से कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जिसमें आवेदित रकबा 6.713 हे. उल्लेखित हो, प्रदाय करेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


(के.पी.राजपूत) 5.10.23

अवर सचिव

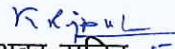
 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-42/2023/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9/10/2023

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 4. वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
 5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव 5-10-23

4 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग